## CHAPTER - XXI

#### **MISCELLANEOUS**

## Section 143: Job work procedure

- (1) A registered person (hereafter in this section referred to as the "principal") may under intimation and subject to such conditions as may be prescribed, send any inputs or capital goods, without payment of tax, to a job worker for job-work and from there subsequently send to another job worker and likewise, and shall,—
  - (a) bring back inputs, after completion of job work or otherwise, or capital goods, other than moulds and dies, jigs and fixtures, or tools, within one year and three years, respectively, of their being sent out, to any of his place of business, without payment of tax;
  - (b) supply such inputs, after completion of job work or otherwise, or capital goods, other than moulds and dies, jigs and fixtures, or tools, within one year and three years, respectively, of their being sent out from the place of business of a job worker on payment of tax within India, or with or without payment of tax for export, as the case may be:

**Provided** that the principal shall not supply the goods from the place of business of a job worker in accordance with the provisions of this clause unless the said principal declares the place of business of the job-worker as his additional place of business except in a case —

- (i) where the job worker is registered under section 25; or
- (ii) where the principal is engaged in the supply of such goods as may be notified by the Commissioner.

<sup>1</sup>[Provided further that the period of one year and three years may, on sufficient cause being shown, be extended by the Commissioner for a further period not exceeding one year and two years respectively.]

- (2) The responsibility for keeping proper accounts for the inputs or capital goods shall lie with the principal.
- (3) Where the inputs sent for job work are not received back by the principal after completion of job work or otherwise in accordance with the provisions of clause (a) of sub-section (1) or are not supplied from the place of business of the job worker in accordance with the provisions of clause (b) of sub-section (1) within a period of one year of their being sent out, it shall be deemed that such inputs had been supplied by the principal to the job-worker on the day when the said inputs were sent out.
- (4) Where the capital goods, other than moulds and dies, jigs and fixtures, or tools, sent for job work are not received back by the principal in accordance with the provisions of clause (*a*) of sub-section (1) or are not supplied from the

<sup>1~</sup> Inserted "proviso" vide The CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018) dt. 29/08/2018 w.e.f  $\,30/08/2018.$ 

#### Central Goods & Services Tax Act, 2017

- place of business of the job worker in accordance with the provisions of clause (*b*) of sub-section (1) within a period of three years of their being sent out, it shall be deemed that such capital goods had been supplied by the principal to the job worker on the day when the said capital goods were sent out.
- (5) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2), any waste and scrap generated during the job work may be supplied by the job worker directly from his place of business on payment of tax, if such job worker is registered, or by the principal, if the job worker is not registered.

*Explanation.*—For the purposes of job work, input includes intermediate goods arising from any treatment or process carried out on the inputs by the principal or the job worker.

# अध्याय 21 प्रकीर्ण

## धारा 143 : जॉब कार्य की प्रक्रिया

- (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इसके पश्चात् इस धारा में ''प्रधान'' कहा गया है) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए और संसूचना के अधीन जॉब कार्य के लिए जॉब कर्मकार को बिना कर के संदाय के कोई इनपुट अथवा पूंजी माल भेज सकता है तथा वहां से पश्चात्वर्ती किसी अन्य जॉब कर्मकार को भेज सकता है और वह,—
  - (क) जॉब कार्य या अन्यथा के पूरा हो जाने के पश्चात् इनपुट या सांचा और रूपदा, जुगतों और फिक्सचरों या औजारों से भिन्न पूंजी मालों को, कर के संदाय के बिना, कारबार के उसके किसी स्थान पर उन्हें भेजे जाने के क्रमशः एक वर्ष और तीन वर्ष के भीतर, वापस लाएगाः
  - (ख) जॉब कार्य या अन्यथा के पूरा हो जाने के पश्चात् इनपुटों या सांचा और रूपदा, जुगतों और फिक्सचरों से भिन्न पूंजी मालों की, यथास्थिति, कर के संदाय के बिना, भारत के भीतर अथवा निर्यात के लिए कर के संदाय के बिना जॉब कर्मकार के कारबार के किसी स्थान पर उन्हें भेजे जाने के क्रमशः एक वर्ष और तीन वर्ष के भीतर पूर्ति करेगा

परन्तु प्रधान, खंड (ख) के निबंधनों में जॉब कर्मकार के कारबार के स्थान से माल की पूर्ति तब तक नहीं करेगा जब तक उक्त प्रधान निम्नलिखित दशा के सिवाय कारबार के अतिरिक्त स्थान की घोषणा नहीं करता है—े

- (i) जहां जॉब कर्मकार धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है; अथवा
- (ii) जहां प्रधान ऐसे माल की पूर्ति में लगा हुआ है जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित किए जाएं।

  <sup>1</sup>[परन्तु यह और कि पर्याप्त हेतु दर्शित किए जाने पर, एक वर्ष और तीन वर्ष की अवधि को,
  आयुक्त द्वारा क्रमशः एक वर्ष और दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए आगे और बढ़ाया
  जा सकेगा।
- (2) इनपुट अथवा पूंजी लाभ के लिए समुचित लेखाओं को बनाए रखने का उत्तरदायित्व प्रधान पर होगा।
- (3) जहां जॉब कार्य हेतु भेजे गए इनपुट उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में कार्यों से भिन्न कार्य के पूरा होने के पश्चात् प्रधान द्वारा वापस नहीं लिए जाते हैं अथवा उन्हें बाहर भेजे जाने के एक वर्ष की अवधि के भीतर उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में जॉब कर्मकार के कारबार के स्थान से उनकी पूर्ति नहीं की जाती है, वहां यह समझा जाएगा कि ऐसे इनपुट की जॉब कर्मकार के लिए प्रधान द्वारा पूर्ति उस दिन की गई थी जब उक्त इनपुट बाहर भेजे गए थे।
- (4) जहां जॉब कार्य हेतु भेजे गए सांचा और रूपदा, जुगतों और फिक्सचरों और औजारों से भिन्न पूंजी माल उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में प्रधान द्वारा वापस नहीं लिए जाते हैं अथवा उसके बाहर भेजे जाने की तीन वर्ष की अविध के भीतर उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में जॉब कर्मकार के कारबार के स्थान से उनकी पूर्ति नहीं की जाती है, वहां यह समझा जाएगा कि ऐसे पूंजी मालों की जॉब कर्मकार के लिए प्रधान द्वारा पूर्ति उस दिन की गई थी जब उक्त पूंजी माल बाहर भेजे गए थे।

<sup>1</sup> सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा परंतुक अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

(5) उपधारा (1) और उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, किसी जॉब कार्य के दौरान जिनत कोई अपशिष्ट या स्क्रैप की, कर के संदाय पर कारबार के उसके स्थान से सीधे जॉब कर्मकार के द्वारा पूर्ति की जा सकती है, यदि ऐसा जॉब कर्मकार रिजस्ट्रीकृत है अथवा यदि जॉब कर्मकार रिजस्ट्रीकृत नहीं है तो प्रधान द्वारा पूर्ति की जा सकेगी।

स्पष्टीकरण — जॉब कार्य के प्रयोजनों के लिए इनपुटों में, प्रधान या किसी जॉब कर्मकार द्वारा इनपुटों पर क्रियान्वित किसी उपचार या प्रक्रिया से उद्भूत होने वाले मध्यवर्ती माल सम्मिलित हैं।